



बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड, पटना।

॥ कार्यालय आदेश ॥

कार्यालय आदेश सं०-.....331.....

खंड 111 1/बि-5-101/09

/पटना, दिनांक- 26/11/19

श्री राहुल कुमार, कनीय अभियंता, (संविदा) द्वारा माह सितम्बर-2019 में दिनांक-03.09.2019, 09.09.2019 एवं 20.09.2019 में उपस्थिति दर्ज नहीं की गई थी, जिसके कारण श्री कुमार के तीन दिनों का वेतन स्थागित रखा गया था। श्री कुमार बुडको मुख्यालय के अतिरिक्त कनीय अभियंता के रूप में कार्य प्रमंडल, बुडको में भी प्रतिनियुक्त है। कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बुडको से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वे उक्त तीनों तिथियों में कार्य प्रमंडल बुडको में कार्य पर उपस्थित रहे हैं। इस आलोक में श्री राहुल कुमार कनीय अभियंता (संविदा) का दिनांक-03.09.2019, 09.09.2019 एवं 20.09.2019 के स्थगित वेतन को विमुक्त किया जाता है।

इस संबंध में प्रबंध निदेशक की स्वीकृति संबंधित संचिका में दिनांक-23.11.19 को प्राप्त है।

ह०/

महाप्रबंधक (प्रशासन)

बुडको

ज्ञापांक-.....6036.....

दिनांक-.....26/11/19.....

1. **प्रतिलिपि:-** महाप्रबंधक (वित्त), प्रबंधक (वित्त), वरीय रोकड़पाल, श्री राहुल कुमार, कनीय अभियंता, (संविदा) बिहार राज्य जल पर्षद विघटित, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. **प्रतिलिपि:-** प्रबंध निदेशक कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/11/2019
महाप्रबंधक (प्रशासन)